

order Sheet [Contd]

प्र०क० 108/17बैल

te of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessa
11-आवेदक/आरोपी	<p>अशोक सिंह की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता । शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक । पुलिस थाना गोहद के अप०क० 339/16 धारा 326,324,294,506,147,148,149 भा०द०सं० की केश डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त हुयी । आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा०फो० में बताया गया है कि यह उनका प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदनपत्र न ही निरस्त हुआ है तथा न ही किसी अन्य न्यायालय में लम्बित होना बताया गया है । आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदन में निवेदन किया गया है कि आवेदक के द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है । आवेदक तथा उसके पिता एवं भाईयों से दिनांक 16-11-16 को अपने खेतों में पानी दे रहे थे तब फरियादी पक्ष ने लाठियां लेकर एक राय होकर बुरी बुरी गालियां देकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी जिसकी रिपोर्ट थाना गोहद में की गई जो अप०क० 340/16 अन्तर्गत धारा 147,148,149,294,324,506बी भा०द०वि० के तहत पंजीबद्ध किया गया उक्त अपराध से बचने के लिये फरियादी पक्ष ने प्रायोजित घटना बनाकर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की गई है । आवेदक दिनांक 11-2-17 से उप जैल गोहद में निरुद्ध है उसके द्वारा डंडो व लात घूसों से मारपीट करना बताया गया है । प्रकरण के सह अभियुक्तगण गिर्राजसिंह को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28-2-17 को व रामवरनसिंह को दिनांक 7-3-17 को जमानत पर छोड़ा गया है एवं सह आरोपीगण शैलेन्द्र की माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ के विविध आदेश क्रमांक 1628 दिनांक 6-3-17 के द्वारा एवं आरोपी जगदीश सिंह की विविध आदेश क्रमांक 1627 दिनांक 6-3-17 के द्वारा अग्रिम जमानत स्वीकार की गयी है । उक्त आरोपीगण के समान ही वर्तमान आरोपी का कृत्य है । आवेदक जमानत की सभी</p>	

शर्तों का पालन करने को तैयार है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुये आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। फरियादी कल्याण सिंह गुर्जर की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 16.11.16 को दिन के साढ़े आठ बजे वह और उसका भाई रामवरन हसेलिया पुरा मौजा में सरसों के खेत में पानी दे रहा था पास में ही महेन्द्र व बीरेन्द्र का खेत स्थित है। महेन्द्र ने उनका पानी बंद कर दिया और अपने खेत के लिए खोल दिया और रामवरन ने कहा कि पानी क्यों बंद कर दिया तो इसी बात को लेकर महेन्द्र और बीरेन्द्र गाली गलोज करने लगे और मना किया तो महेन्द्र ने कुल्हाड़ी से रामवरन को मारा जो उसके सिर में लगी, धर्मवीर, रामवरन को बचाने आया तो बीरेन्द्र ने भी कुल्हाड़ी मारी जो सिर में लगी खून निकल आया। जगदीश, शैलेन्द्र, गिराज और अशोक ने उसकी व रामवरन की लात घूसों से मारपीट। मौके पर गजेन्द्रसिंह और राजू के द्वारा आकर बीच बचाव किया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद में धारा 147, 148, 149, 294, 324, 506बी भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान आहतगण का परीक्षण कराया गया जिस पर से धारा 326 भा.द.वि का इजाफा किया गया है।

आवेदक अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आवेदक/आरोपी का कृत्य जमानत पर छोड़े गए आरोपी गिराज, रामवरन के समान है। और यह भी निवेदन किया कि प्रकरण के सह आरोपीगण जगदीश सिंह एवं शैलेन्द्र सिंह की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है । ऐसी दशा में समानता के आधार पर जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। घटनास्थल पर मौजूद होने बताए गए आरोपी महेन्द्र व बीरेन्द्र के द्वारा धारदार हथियारों से रामवरन व धर्मवीर को चोटें पहुँचाना बताई है। वर्तमान आवेदक पर मात्र यह आक्षेप है कि उसके द्वारा डंडों व लात घूसों से मारपीट की है जो कि जमानत पर छोड़े गए सहआरोपी गिराजसिंह , रामवरन के भिन्न न होकर उसके समान ही है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त घटना के संबंध में वर्तमान प्रकरण के फरियादी पक्ष के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है जो कि

क्रोस केश की केश डायरी से स्पष्ट है।

विचारोपरांत जबकि वर्तमान आवेदक पर यह आक्षेप है कि उसके द्वारा लात घूंसों से डंडो से मारपीट की गई है जो कि इसी प्रकार का आक्षेप जमानत पर छोड़े गए सहआरोपी गिर्राज, रामवरन का था जो कि उस पर लगाए गए आक्षेप की प्रकृति एवं प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए एवं इस तथ्य को देखते हुए कि आरोपी दिनांक 11.02.2017 से अभिरक्षा में है। आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है कि आवेदक/ आरोपी की ओर से 40,000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़ा जाए।

शर्तें—

1. आवेदक विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा।
2. आवेदक जब भी आवश्यक हो उपस्थिति दर्ज कराएगा।
3. आवेदक प्रत्येक पेशी दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा एवं अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।
4. आवेदक इस प्रकार के या अन्य किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावे।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(डी0सी0थपलियाल)

ए.एस.जे. गोहद